

अतः आगामी पेशी पर आवृत्त रूप से
सहा. अति. PWS, भू अ. नि. के.क. मॉका सि.पे.
सहित स्वंगं उप. रहें। पत्रावली दिनांक 12/03/24
को पेश हो।

12/03/24

पत्रावली पेश। भू. अ. नि. के.क. एवं सहा. अति.
PWS पत्र जारी होने के उपरांत भी उप.
नहीं। पुनः स्मरण वन जारी हो। पत्रावली
दिनांक 21/03/24 को पेश हो।

कलकट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

21/3/24

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रगती कार्रवाई नहीं होने के कारण
इसका होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार दिनांक... 09/5/24
को पेश हो।

कलकट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

09/5/24

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रगती कार्रवाई नहीं होने के कारण
इसका होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार दिनांक... 12/5/24
को पेश हो।

13/05/24

पत्रावली पेश। भू. अ. नि. के.क. की report
प्राप्त। वादी द्वारा निम्नानुसार अनुतोष
चाहा गया है -

1. आया वादी की स्वातेदारी में रास्ता
ना निकाल कर, राजस्व नक्शानुसार
सड़क निर्माण किया जावे।
2. दौराने बाद सड़क निर्माण अन्य स्थान
पर कर लिया है तो उसे हटाया जावे।
पूर्व में पटवारी के.क. द्वारा
प्रस्तुत मॉका फर्द अनुसार - "ख. सं. 232
जो. वि. प्रा. के नाम दर्ज है। ख. सं. 282
(किस्म. रौ. मु. रास्ता) की माठ पर
विवाद होने पर श्रीमानकन किया गया।"

भू. अ. नि. के.क. की रिपोर्ट
अनुसार - "लाल स्याही से dotted
स्थान पर सड़क चल रही है। मॉके पर

सड़क निर्मित है।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि
उक्त प्रकरण नक्शा पुरस्ती से संबंधित है,
एवं यह राज. भू-राजस्व अधिनियम से
संबंधित है, जो इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार
नहीं है। अतः संबंधित न्यायालय में वाद
दायर करें। वाद स्वार्जिज करमाया जाता है।
आदेश सुनाया गया। पत्रावली फंसल
शुमार होकर दारिबल-दफतर हो।



प्रिंकर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर